456
31/8/2020

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/20/1551 जयपुर, दिनांक 31/8/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 663 दिनांक 30.7.2020 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यालय स्तरीय छात्रावासों की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2020 एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 16 सितम्बर 2020 निर्धारित की गई थी।

राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के विद्यालय स्तरीय एवं राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र कम प्राप्त होने के कारण से अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2020 को बढाकर 30 सितम्बर 2020 निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार प्रवेश की वरीयता सूची जारी करने की तिथियां भी निम्नानुसार नियत की जाती है:–

जारी होने वाली सूची	पूर्व में नियत दिनांक	प्रस्तावित नियत दिनांक
पंचम सूची	31 अगस्त 2020	31 अगस्त 2020
छष्ठम सूची	–	16 सितम्बर 2020
सप्तम सूची	–	30 सितम्बर 2020

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)( )राछा/सान्याअवि/20/1552-1632 जयपुर, दिनांक 31/8/2020
प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त) ....।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
8. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने हेतु।
9. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
10. आदेश पत्रावली।

31/08/2020
(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

E:\Letter.docx 74